गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.08.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
17.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय ने रक्षाबंधन पर्व की सभी को शुभकामना देते हुए व्यक्ति के जीवन में प्रेम की शक्ति एवं महत्ता को रेखांकित किया। साथ ही आगामी समय में नैक प्रत्यायन एवं दशम् दीक्षांत समारोह की तैयारियों हेतु सभी के एकजुट प्रयास के लिए आह्वान किया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.08.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

Mcell- I\SC\..\SC 30-08-2023

30/08/2023

30/08/23

विषय क्र. 03. **फीस वापसी पॉलिसी–2023–24 पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी फीस वापसी पॉलिसी 2023–24 को अंगीकृत किया जाय एवं तद्नुसार प्रवेश निरस्त कराने वाले विद्यार्थियों को शुल्क लौटाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

विषय क्र. 04. **विश्वविद्यालय स्थित समस्त छात्रावासों में सत्र 2023–24 के लिए छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रदाय किये जाने वाले प्रवेश आवेदन फार्म के अनुमोदन के संबंध में विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय स्थित समस्त छात्रावासों में सत्र 2023–24 के लिए छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु प्रदाय किये जाने वाले प्रवेश आवेदन फार्म संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05. **विश्वविद्यालय में संचालित विहेवियरल क्लब में अवांछित गतिविधियों/व्याख्यानों के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि घटित घटना के संबंध में जानकारी UNICEF को प्रेषित किया जाय तथा विश्वविद्यालय का घटित घटना के संबंध में असंतोष व्यक्त किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विहेवियरल क्लब की नोडल अधिकारी डॉ0 अर्चना यादव, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य विभाग को नोडल अधिकारी के कार्यों से विमुक्त किया।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में अन्य किसी संस्थाओं/ निकायों से सम्पोषित कार्यक्रम संचालित किये जाने संबंधी पॉलिसी (नीति निर्देश) का प्रारूपण किया जाय एवं अनुमोदित पॉलिसी (नीति निर्देश) के अधीन ही कार्याक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

विषय क्र. 06. **दसवें दीक्षांत समारोह के आयोजन संबंधी सूचना पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने दसवें दीक्षांत समारोह आयोजन संबंधी सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 07. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और IDBI Bank के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और IDBI Bank के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सरोवरों के नाम निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि सरोवरों का निम्नानुसार नाम रखा जाय :–

1. काली मंदिर के बायें तरफ के सरोवर का नाम शांति सरोवर,
2. काली मंदिर के दायें तरफ के सरोवर का नाम समृद्धि सरोवर,
3. प्रबंध अध्ययन विभाग भवन के दायें तरफ के सरोवर का नाम आनंद सरोवर,
4. प्रबंध अध्ययन विभाग भवन के पीछे के सबसे बड़े सरोवर का नाम महामाया सरोवर

30/08/2023

30/08/23

अ.अ.वि.क्र.2 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में संचालित स्नातक स्तर के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को अंतिम सेमेस्टर तक पदोन्नत किये जाने संबंधी निर्णय पूर्व में लिया गया था तथा इस संबंध में कार्यालयीय ज्ञाप दिनांक 19.06.2023 को जारी किया गया था। सीएसआईटी विभाग में पदोन्नति संबंधी उक्त प्रावधान को बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में भी लागू किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। स्थायी समिति ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 19.06.2023 को जारी कार्यालयीय ज्ञाप में उल्लेखित पदोन्नति सबंधी प्रावधान बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में भी समान रूप से लागू किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

30/08/2023 30/08/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**